

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी**  
**(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)**

**पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :- 49/2018 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री एस0एस0राणावत निवासी एफ बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला  
159/5 हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर, कलक्टर (प्रशा0) भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005**

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित  
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

**निर्णय**

**दिनांक : 20/06/2018**

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर (प्रशा0) भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 15.05.2018 को स्वयं उपस्थित होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 921830 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 12/04/2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया । किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12.04.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 04.06.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। प्रथम सुनवाई दिनांक 20.06.2018 को अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2018 दिनांक 18.06.2018 से निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 16.04.2018 को प्राप्त हुआ जिससे सम्बन्धित सूचना तैयार कर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसका अपने प्रतिनिधि के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपील में अंकितानुसार समस्त सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है अतः अपील खारिज फरमाई जावे ।

अपीलार्थी के आवेदन एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12.04.2018 में अंकित 1 से 10 बिन्दुओं की सूचना जिला कलक्टर कार्यालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त हुई जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुभागों से एवं सूचना प्रकोष्ठ से भी निःशुल्क अपीलार्थी को दिये जाने का प्रत्यर्थी के जवाब में अंकन है। बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना पूल अनुभाग में जो भी सूचना उपलब्ध थी वह पूल अनुभाग के पत्रांक एफ 33-1(13)/पूल/2018 दिनांक 15.05.2018 से लोक सूचना अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित की गई। बिन्दु संख्या 4 से 6 की सूचना स्थापना अनुभाग में जो भी सूचना उपलब्ध थी वह स्थापना अनुभाग के पत्रांक एफ 1-26(59)/स्थापना/2018/15861 दिनांक 17.05.2018 से लोक सूचना अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित की गई। बिन्दु संख्या 10 की सूचना न्याय अनुभाग में जो भी सूचना उपलब्ध थी वह न्याय अनुभाग के पत्रांक न्याय/2018/24242 दिनांक 16.05.2018 से लोक सूचना अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित की गई। बिन्दु संख्या 7 से 9 की सूचना राजस्व अनुभाग में जो भी सूचना उपलब्ध थी वह राजस्व अनुभाग के पत्रांक एफ 40-35(6)( )/आरए/2018/1755 दिनांक 09.05.2018 से लोक सूचना अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित की गई। सभी विभागों से प्राप्त सूचनाएं सूचना प्रकोष्ठ द्वारा संकलित कर अपने पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2018/180 दिनांक 17.05.2018 से अपीलार्थी को जरिये डाक से निःशुल्क प्रेषित की गई जिसकी प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी दिनांक 20.06.2018 को न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा उन्हें मिलने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में मौखिक या लिखित में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को समस्त सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर(प्रशा०) भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 20/06/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)-  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलैट अधिकारी  
भीलवाड़ा